| | |
|---|---|
| **भारत सरकार** | **लोक सभा** |
| **वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय** | **अतारांकित प्रश्न सं.4971** |
| **वाणिज्य विभाग** | |

**दिनांक 01 अप्रैल, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए**

**द्विपक्षीय व्यापार समझौते**

**4971. श्री एंटो एन्टोनी:**

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अमरीका के साथ प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौतों (बीटीए) के माध्यम से भारत द्वारा प्राप्त किए जाने वाले कुल अनुमानित व्यापार की मात्रा का ब्यौरा क्या है:

(ख) सरकार की किस प्रकार यह सुनिश्चित करने की योजना है कि बीटीए विश्व व्यापार संगठन के सर्वाधिक वरीयता प्राप्त राष्ट्र (एमएफएन) के सिद्धांत का उल्लंघन न करे; और

**(ग)** इस बीटीए और मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) के बीच प्रमुख अंतरों का ब्यौरा क्या **है**?

**उत्तर**

**वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री**

**(श्री जितिन प्रसाद)**

(क) से (ग): भारत सरकार पारस्परिक रूप से लाभकारी और निष्पक्ष तरीके से द्विपक्षीय व्यापार संबंधों को बढ़ाने और व्यापक बनाने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार के साथ निरंतर नियोजित है। दोनों देशों ने दिनांक 13 फरवरी, 2025 को एक संयुक्त बयान जारी किया, जिसमें आर्थिक संबंधों को गहरा करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। महत्वाकांक्षी "मिशन 500" के तहत, दोनों देशों का लक्ष्य वर्ष 2030 तक अमेरिका-भारत व्यापार को दोगुना से अधिक 500 बिलियन अमरीकी डॉलर तक पहुंचाना है, जिसे कई क्षेत्रों में व्यापार संबंधों को गहरा करके हासिल किया जा सकता है।

यह स्वीकार करते हुए कि इस स्तर की महत्वाकांक्षा के लिए नए व्यापार संबंधों की आवश्यकता होगी, दोनों सरकारों ने वर्ष 2025 के अंत तक पारस्परिक रूप से लाभकारी, बहु-क्षेत्रीय द्विपक्षीय व्यापार समझौते (बीटीए) के पहले हिस्से पर बातचीत करने की योजना की घोषणा की। भारत, डब्ल्यूटीओ के सदस्य के रूप में, नियम-आधारित बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली के लिए प्रतिबद्ध है।

*****